अनुदान संख्या 53 – गह मंत्रालय का अन्य व्यय
GRANT No. 53–OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*2,00*	..	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	964,51,00	1584,80,00	1402,98,73	–181,81,27
पूरक	Supplementary	620,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				226,92,22

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2235'' - "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (18181.27 लाख रु.) अगस्त, 2006 दिसम्बर, 2006, और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 62029.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 29 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि भी (22692.22 लाख रु.) कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head" 2235" – "Social Security and Welfare" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.18181.27 lakhs) constituted 29 percent of the supplementary grants of Rs.62029.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 11 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.22692.22 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2070''	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	1720.00	1350.00	1032.93	–317.07
पु.	R.	–370.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	43714.00			
पू.	S.	5001.00	40444.80	45940.91	+5496.11
पु.	R.	–8270.20			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on account of natural calamities				
मू.	O.	8640.00			
पू.	S.	4571.00	21965.99	22000.96	+34.97
पु.	R.	8754.99			
मुख्य शीर्ष "3053" नागर विमानन	Major Head "3053" Civil Aviation				
मू.	O.	2500.00	1754.11	1377.81	–376.30
पु.	R.	–745.89			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	39658.00			
पू.	S.	52457.00	70166.06	69844.06	–322.00
पु.	R.	–21948.94			

(I) 4582.01 लाख रु. का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 4455.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "पुनर्वास - भारत-पाक युद्ध, 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत और उनका पुनर्वास -

(I) Provision of Rs.4582.01 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these Rs.4455.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Rehabilitation-Relief and Rehabilitation of Persons affected by Indo-Pak Conflict,1971-Displaced persons from

पाक अधिकृत कश्मीर और छंब निआबत क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति'' - 200.00 लाख रु. जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

PAK occupied Kashmir and Chhamb Niabat Area" – Rs.200.00 lakhs - due to non- receipt of claims of reimbursement from the State Government of Jammu and Kashmir.

(खा) मुख्य शीर्ष "2245'' - "सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन - विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना'' - 1010.00 लाख रु. भाग लेने वाले चक्रवात प्रवण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब होने और विशेषीकृत क्षेत्रों में परियोजना निगरानी इकाई की सहायता के लिए व्यावसायिक परामर्शदाता नियुक्त करने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण थे।

(B) Major Head "2245" - "General - Management of natural disasters contingency plans in disaster Prone areas – Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance" – Rs.1010.00 lakhs – due to delay in receipt of investment proposals from the participating cyclone prone States/UTs and the time taken in the process of engaging a professional consultant to assist the project monitoring unit in specialised areas.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेतर अनुदान'' -

(C) Major Head "3601" - "Non - Plan Grants" -

(क) "पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें'' -

(a) "Rehabilitation-Other Rehabilitation Schemes" -

(i) "मिजोरम'' - 1885.00 लाख रु. ब्रू शरणार्थियों का त्रिपुरा से मिजोरम प्रत्यावर्तन न किए जाने और पुनर्वास व्यय में वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब होने के कारण थे।

(i) "Mizoram" - Rs.1885.00 lakhs - due to non-repatriation of Bru refugees from Tripura to Mizoram and delay in receipt of approval of the competent authority for enhancement of rehabilitation expenditure.

(ii) "असम'' - 999.00 लाख रु. राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) "Assam" – Rs.999.00 lakhs – due to non-receipt of claims for reimbursement from the State Government.

(ख) "पुनर्वास - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति'' - 361.00 लाख रु. (211.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकार से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्तावों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।

(b) "Rehabilitation – Displaced Persons from former East Pakistan" – Rs.361.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.211.00 lakhs) – due to non-receipt of information/clarification from State Government and non-submission of proposals for reimbursement by State Government of Chhattisgarh.

(II) मुख्य शीर्ष "3601'' - "योजनेतर अनुदान - पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - जम्मू और कश्मीर राहत और पुनर्वास'' के अंतर्गत 12000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 4823.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 16823.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 9891.80 लाख रु. की बचत

(II) Under Major Head "3601" - "Non - Plan Grants – Rehabilitation - Other Rehabilitation Schemes – Jammu & Kashmir Relief and Rehabilitation" - the original provision of Rs.12000.00 lakhs was augmented to Rs.16823.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.4823.00 lakhs. However, there was a saving

(पूरक अनुदान सहित) जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार से समय पर दावों और प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

of Rs.9891.80 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of claims and proposals from the State Government of Jammu and Kashmir in time.

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 के दंगों में हुई मौतों, चोटों, सम्पत्तियों को हुई क्षति, बीमा न की गई वाणिज्यिक औद्योगिक सम्पत्तियों को हुई क्षति के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 37517.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 37518.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति संबंधी प्रस्तावों/दावों के प्राप्त न होने के कारण 15283.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "3601" - "Non - Plan Grants – Other Social Security and Welfare Programme – Other Programme – Enhanced Compensation for death, injury, damage to properties, damage to uninsured commercial industrial properties in 1984 riot" - the original provision of Rs.1.00 lakh was augmented to Rs.37518.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.37517.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15283.00 lakhs – due to non-receipt of reimbursement proposals/claims from the State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय पहचान पत्र स्कीमें'' के अंतर्गत 677.07 लाख रु. की बचत (1010.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहु-प्रयोज्य राष्ट्रीय पहचान पत्र संबंधी प्रायोगिक परियोजना की प्रौद्योगिकी और बाह्य स्रोतों से कार्य कराए जाने को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070" - "Other Expenditure - National Identity Card Schemes" - saving of Rs.677.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1010.00 lakhs) was due to delay in finalisation of technology and outsourcing of pilot project on multi-purpose National Identity Card.

(V) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - स्वतंत्रता सेनानियों को नि:शुल्क रेलवे पास'' के अंतर्गत 2565.73 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेलवे बोर्ड से दावे कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) Under major head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Free Railway Passes to Freedom Fighters" - saving of Rs.2565.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to receipt of less number of claims from Railway Board.

(VI) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(VI) Under Major Head "2245" - "General - Management of natural disasters Contingency plans in disaster prone areas" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम'' - 597.12 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2344.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परिसर के कब्जे वाले आवास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा देय किराए के मुद्दे के निपटान में विलंब होने और कर्मचारियों द्वारा कम संख्या में विदेश दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Disaster Management Programme" - saving of Rs.597.12 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2344.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to delay in settlement of the issue of rent payable by National Institute of Disaster Management for the accommodation occupied in Indian Institute of Public Administration Campus and less number of foreign visits by the staff.

(खा) ''भूकंप जोखिम प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 312.85 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संसाधन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(B) "National Programme for Capacity Building For Earthquake Risk Management" - saving of Rs.312.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non – receipt of utilisation certificates from the states and slow progress in training programme by the National and State Level Resource Institutions.

(गा) ''आपदा होने पर तीव्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए विशेषीकृत क्षमता का निर्माण'' - 3240.26 लाख रु. की बचत (3248.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपतकालीन संचार योजना चरण-II से संबंधित प्रस्ताव के पुनर्गठन में विलंब होने के कारण हुई।

(C) 'Building up of specialised capability for rapid intervention in case of disasters" - saving of Rs.3240.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3248.00 lakhs) was due to delay in restructuring of the proposal relating to Emergency Communication Plan Phase-II.

(VII) मुख्य शीर्ष ''3053'' - ''हवाई सेवाएं - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकाप्टर सेवाओं के लिए अदायगी'' के अंतर्गत 1122.19 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3053" - "Air Services – Other Expenditure – Payment for Helicopter Services in North Eastern Region" - saving of Rs.1122.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-receipt of re-imbursement claims from State Governments.

(VIII) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(VIII) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र - अन्य अनुदान - बोडो प्रादेशिक परिषद सचिवालय की प्रशासनिक अवसंरचना का विकास'' - 377.41 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) असम की राज्य सरकार से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने और बोडो लैंड प्रादेशिक परिषद के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(A) "North Eastern Area – Other Grants - Development of Administrative infrastructure for Bodo Territorial Council Secretariat" - saving of Rs.377.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from the State Government of Assam and availability of unspent balance with Bodo Land Territorial Council.

(खा) ''पुनर्वास - अन्य पुनर्वास स्कीमें - त्रिपुरा'' - 450.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Rehabilitation – Other Rehabilitation Schemes - Tripura" – saving of Rs.450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

3. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य - आपदा प्रवण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता योजनाओं का प्रबंधन'' -

(I) Major Head "2245" - "General – Management of natural disasters Contingency plans in disaster Prone areas" –

(का) ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' - 366.79 लाख रु. का अधिक व्यय (1637.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदाताओं कर्मचारियों की भर्ती किए जाने के कारण अतिरिक्त आवास, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे किए जाने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आबंटित कार्यालय भवन का नवीकरण किए जाने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''राहत सामग्रियों और जम्मू और कश्मीर में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए सामग्रियों की अधिप्राप्ति'' - 652.76 लाख रु. का अधिक व्यय (4570.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर में भूकंप प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न केंद्रीय अभिकरणों/संगठनों/जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निधियों की तत्काल आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) ''आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से धनराशि जारी/स्वीकृत किया जाना'' - 12931.64 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल की टिप्पणी को कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार परियोजना का अनुमोदन देर से प्राप्त होने और इसकी वजह से धनराशि छह माह के भीतर ही जारी किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान'' -

(का) ''आपदा राहत निधि को अंशदान के लिए अनुदान - जम्मू और कश्मीर के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत'' - 3499.70 लाख रु. का अधिक व्यय (9905.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर में भूकंप प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न केंद्रीय अभिकरणों/संगठनों/जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए निधियों की तत्काल आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) ''जेल - अन्य अनुदान - जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण'' - 3488.57 लाख रु. का अधिक व्यय (18000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उन राज्यों को जिन्होंने स्कीम के अंतर्गत अपने हिस्से की राशि पहले ही खर्च कर दी है उन्हें निधियों का केंद्रीय भाग जारी किए जाने के लिए निधियों की तत्काल आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "National Disaster Management Authority" - excess of Rs.366.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1637.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for additional accommodation on account of induction of staff consultants, foreign tours undertaken by the members and officers and renovation of office building allotted to National Disaster Management Authority.

(B) "Procurement of relief materials and materials for onstruction of shelters in the earthquake affected areas in J& K" - excess of Rs.652.76 lakhs (against the supplementary provision of Rs.4570.00 lakhs) was due to urgent requirement of funds for reimbursement of expenditure incurred by various Central Agencies/ Organisations/Government of Jammu and Kashmir for providing relief to the earthquake affected people in Jammu and Kashmir.

(C) "Release/Sanction from UNDP for Disaster Risk Management Project" - excess of Rs.12931.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to late receipt of approval for the project and as per the implementation schedule to the Cabinet Note, the amount had to be released within six months.

(II) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants" -

(A) "Grants towards contribution to Calamity Relief Fund - Relief for Earthquake victims of Jammu and Kashmir" - excess of Rs.3499.70 lakhs (against the supplementary provision of Rs.9905.00 lakhs) was due to urgent requirement of funds for reimbursement of expenditure incurred by various Central Agencies/ Organisations/Government of Jammu and Kashmir for providing relief to the earthquake affected people in Jammu and Kashmir.

(B) "Jails - Other Grants - Modernisation of Prison Administration" - excess of Rs.3488.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18000.00 lakhs) was due to urgent requirement of funds for releasing central share of funds to those States who had already spent their share under the scheme.